आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश

सामान्य निर्देश

1 यह प्रपत्र आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के अन्तर्गत संचालित सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों के समस्त स्नातकोत्तर / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर लागू है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए यह उन राजकीय महाविद्यालयों में लागू नहीं है जिनमें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। शेष राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए यह एकीकृत आवेदन प्रपत्र स्वीकार्य है (परन्तु राजस्थान संगीत संस्थान व राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस में यह लागू नहीं है)। राजस्थान के जिन राजकीय महाविद्यालयों में कॉमन एडमीशन फॉर्म लागू है उनकी सूची पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी गई है। इनके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रक्रिया से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने वाले महाविद्यालयों में भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के रिक्त रहे पुनर्विज्ञापित स्थानों हेतु प्रवेश/ स्थान रिक्त होने पर स्थानान्तरण के कारण प्रवेश/ स्वयंपाठी अभ्यर्थियों द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश हेतु भी यही आवेदन प्रपत्र उपयोग में लिया जाएगा।

2 अभ्यर्थी/आवेदक ''इन्टरनेट'' से डाउनलोड किए गए **एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र** पर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन पत्र निर्धारित किया गया है।

3 आवेदन प्रपत्र को स्वच्छ व उचित गुणवत्ता के पृष्ठ (लीगल साइज) पर प्रिन्ट करावें। प्रिन्ट स्पष्ट व पठनीय होना चाहिए। पृष्ठ आगे पीछे या अलग–अलग प्रिन्ट करवाए जा सकते हैं परन्तु ये पृष्ठ सही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिएं।

4 प्रवेश आवेदन भरने से पूर्व निर्देशों व विवरणिका का अध्ययन कर लें। आपकी सहायता के लिए कुछ सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर भी तैयार किए गए है जिन्हें पढ़ कर आपके अधिकांश संशय दूर हो जाएंगे।

5 आवेदन प्रपत्र में प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। आपसे जो सूचना चाही गई है उसे पूर्णता व सत्यता के साथ लिखें। मिथ्या सूचना देने पर आपका आवेदन निरस्त कर आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

6 आप यदि समस्त सूचनाएं व आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं प्रदान करते हैं तो इसके कारण हो सकता है कि आपके आवेदन पर विचार न किया जा सके या फिर आपको वह लाभ न मिल पाए जिसके आप हकदार हों। उदाहरणार्थ यदि आप आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं परन्तु आपने इसके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत न किए हों तो आपके आवेदन को ''सामान्य'' श्रेणी का मानते हुए आपकी ''मेरिट'' की गणना की जाएगी। यदि आप शुल्क में रियायत के हकदार हों, परन्तु आपने आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न न किया हो तो आपको पूर्ण शुल्क देना होगा।

7 आपके द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियां सुस्पष्ट व पठनीय होनी चाहिएं।

8 आवेदन प्रपत्र की समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करें। जो पंक्तियां या प्रविष्टियां आप पर लागू न हों या आपसे संबंधित न हो उन पर 'लागू नहीं' लिखें।

9 सम्पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र को निर्धारित तिथि से पूर्व उस महाविद्यालय में मय समस्त संलग्नकों के जमा करवाएं जहां आप द्वारा प्रवेश चाहा गया हो।

10 **आवेदन प्रपत्र जमा करवाते समय महाविद्यालय में आपसे किसी प्रकार का शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क/प्रोस्पेक्टस शुल्क आदि) नहीं लिया जाएगा।**

11 आपके आवेदन प्रपत्र के विषय में सूचनाएं आपको संबन्धित महाविद्यालय के सूचना पट्ट से ही प्राप्त होंगी। इसके लिए आपको ई–मेल, एस.एम.एस. या पत्र से सूचित नहीं किया जाएगा। अतः प्रवेश नीति के कार्यक्रमानुसार संबन्धित महाविद्यालय के सम्पर्क में रहें।

12 मेरिट सूची में नाम आने पर संबन्धित महाविद्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

<u>एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में बिन्दुवार निर्देशः–</u>

आवेदन प्रपत्र की बिन्दु संख्या	निर्देश
1	आप जिस राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश चाहते है उसका पूर्ण नाम व स्थान लिखें। ध्यान रहे कि यह आवेदन राजकीय महाविद्यालयों के उन पाठ्यक्रमो में स्वीकार नहीं किया जायेगा जहां ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है (देखें–राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया सूची)। इस बिन्दु संख्या से ऊपर आपको सिर्फ दो और सूचनाएं भरनी हैं– (1) वांछित पाठ्यक्रम में पर सही का निशान लगाएं (2) शैक्षणिक सत्र की प्रविष्टि को पूर्ण करें।
2	आप जिस संकाय में प्रवेश चाहते है उसका नाम लिखें।
3	कक्षा जिसमें प्रवेश चाहा गया है उसका नाम लिखें (प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध)। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के इच्छुक आवेदक खाली स्थान पर वांछित विषय का नाम लिखें।
4	कुछ महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी संबंधित महाविद्यालय की विवरणिका से प्राप्त की जा सकती है। आप ऑनर्स या पास कोर्स, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसका उल्लेख करें।
5	यदि महाविद्यालय में कोई अन्य स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो जो बिन्दु संख्या 2 से 4 तक में स्पष्ट न होता हो तथा आप उसमें प्रवेश लेने के इच्छुक हो तो ऐसे पाठ्यक्रम का नाम यहां अंकित करें।
6	• यह बिन्दु स्नातक स्तर के आवेदकों से उनकी पसन्द के विषय विकल्प प्राप्त करने हेतु है। • कला संकाय में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को इस पंक्ति में उनकी पसन्द के तीन विषय वरीयता से भरने हैं। उदाहरणार्थ यदि आप हिन्दी, राजनीति शास्त्र व भूगोल विषय लेना चाहते हैं परन्तु इनमें आपकी पहली वरीयता भूगोल है, दूसरी हिन्दी तथा तीसरी राजनीति शास्त्र तो वरीयता क्रम में ही अपने विषय लिखें। • विज्ञान व वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रमों में विषय संयोजन के सीमित विषय उपलब्ध हैं अतः वे उपलब्ध वांछित विषयों के नाम लिखें। • स्नातकोत्तर के प्रवेशार्थियों को यह पंक्ति रिक्त छोड़ देनी है। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को अपनी रुचि का विषय बिन्दु संख्या–3 में भरना है। उल्लेखनीय है कि स्नातकोत्तर के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आपको प्रथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा (यदि आप स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध इतिहास व राजनीति शास्त्र दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करना चाहते हों तो एक ही आवेदन पत्र में आवेदन नहीं करें वरन दो पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें)।
7	• <u>बिन्दु संख्या–7 सिर्फ **कला संकाय के स्नातक भाग प्रथम** में आवेदन कर रहे आवेदकों के लिए है</u> जिन्होंने कि बिन्दु संख्या–6 में अपनी वरीयता के तीन विषय लिख दिये हैं। यदि महाविद्यालय में तीन से अधिक विषय कला स्नातक स्तर पर उपलब्ध हैं तो यहां वे शेष उपलब्ध विषयों के लिए अपनी वरीयता को क्रम से अंकित करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय समूहों का आवंटन मेरिट व स्थानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। यदि आपको आपकी मेरिट के अनुसार वरीयता के प्रथम तीन विषय उपलब्ध नहीं हो रहे हों तो आपके द्वारा दी गई शेष वरीयताओं में से ही आपको वैकल्पिक विषय आवंटित किये जायेंगे। यदि आप वरीयताएं अंकित नहीं करते हैं तो प्रवेश समिति, यह मानते हुए कि आपकी कोई पसन्द–नापसन्द नहीं है, अपने विवेक से आपको विषय आवंटित करेगी। • जिस प्रकार आपने विषयवार की वरीयताएं अंकित की हैं उसी प्रकार <u>**विषय संयोजन**</u> की तालिका में विषय संयोजन की पांच वरीयताएं भी अंकित करें।

आवेदन प्रपत्र की बिन्दु संख्या	निर्देश
8	आपके चुने गये पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त यदि कोई अनिवार्य विषय (उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी, सामान्य इंग्लिश, पर्यावरण, एलीमेन्टरी कम्प्यूटर, बुक कीपिंग) भी हैं तो इनके नाम लिखें। सामान्यतः यह बिन्दु स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए है। इसकी पूर्ति के लिए महाविद्यालय की विवरणिका देखें।
9	कुछ राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/ सीटें / विकल्प उपलब्ध हैं। इसका विवरण संबंधित महाविद्यालय की विवरणिका से देखें तथा तदनुसार आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करें। जहां स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता हो वहां अलग से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा स्ववित्तपोषित विकल्प के लिए आवेदन करना चाहते हों तो ''**हां**'' लिखें।
10	• आवेदक अपना नाम सही वर्तनी में अंग्रेजी (रोमन लिपि) व हिन्दी (देवनागरी लिपि) में लिखें। यह नाम आपके सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। • आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना हाल ही में लिये गये पासपोर्ट आकार का फोटो (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) चिपकायें तथा इसे स्वयं द्वारा सत्यापित करें।
11	आवेदक अपनी पूर्ण जन्म दिनांक (सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) लिखें।
12	लिंग (पुरुष या स्त्री) लिखें।
13	धर्म लिखें (यदि आप किसी अल्पसंख्यक धर्म से है तो इसका नाम लिखें)।
14	पिता का नाम सही वर्तनी में लिखें जो सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है।
15	माता का नाम सही वर्तनी में लिखें जो सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है।
16	यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ''**हां**'' लिखें अन्यथा ''**नहीं**'' लिखें।
17	यदि माता/पिता का स्वर्गवास हो गया हो तो संरक्षक का नाम व उनसे संबंध लिखें।
18	अभिभावक/संरक्षक का व्यवसाय लिखें।
19	अभिभावक/संरक्षक के आयकरदाता होने/न होने की जानकारी दें।
20	आपकी श्रेणी लिखें। यदि आप आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आरक्षण से संबंधित सूचना व प्रमाण पत्र के अभाव में आपके आवेदन का निस्तारण आपको ''**सामान्य श्रेणी**'' का आवेदक मानते हुए किया जायेगा।
21	बिन्दु सं. 20 में आपने जो श्रेणी दर्शाई है उसके अन्तर्गत आपकी जाति अवश्य लिखें।
22	राजकीय महाविद्यालयों के लिए जारी प्रवेश नीति के अनुसार आवेदकों को विशेष परिस्थितियों/उपलब्धियों के लिए आरक्षण/बोनस का लाभ दिया गया है। इनका विस्तृत विवरण प्रवेश नीति व महाविद्यालय की विवरणिका में दिया गया है। आप जिस प्रावधान के अन्तर्गत बोनस/आरक्षण प्राप्त करना चाहते हों उसका उल्लेख करें तथा इसके संबंध में प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।
23	यदि आप विशेषयोग्यजन (डिफरेन्टली–एबल्ड पर्सन) हैं तो विवरण दें।
24	यदि आप बीपीएल (बिलो पॉवर्टी लाईन) श्रेणी में हैं तो ''**हां**'' अन्यथा ''**नहीं**'' लिखें।
25	यदि आप महिला/कन्या हैं तथा अपने माता–पिता की एक मात्र सन्तान हैं तो ''**हां**'' लिखें।
26	आप जिस महाविद्यालय में आवेदन कर रहे हैं उसमें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो तथा आप उसमें आवास चाहते हों तो उल्लेख करें।
27	यदि महाविद्यालय में वाहन की पार्किंग सुविधा चाहते हों तो वाहन का प्रकार लिखें।
28	अपना वर्तमान पूर्ण पता मय पिनकोड व सम्पर्क सूत्रों के लिखें।
29	अपना पूर्ण स्थाई पता मय पिनकोड व सम्पर्क सूत्रों के लिखें।
30	आपकी ई–मेल का पता पठनीय अक्षरों में लिखें।
31	यदि आपका मतदाता पहचान पत्र बन गया हो तो इसका क्रमांक लिखें।
32	यदि आपका आधार योजना में पंजीकरण हो गया है तो आधार नम्बर लिखें। पृष्ठ संख्या–1 के अन्त में पूर्ण हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित करें।
33	• आवेदक अपना नाम, पिता का नाम व अर्हकारी परीक्षा का परिणाम लिखें। • इस बिन्दु की तालिका में आपको सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के शैक्षणिक सत्र से वर्तमान तक प्रत्येक सत्र की सूचना देनी है। • यदि किसी सत्र/अवधि में आपने किसी संस्थान में अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं लिया हो तो सत्र/अवधि लिखकर ''अन्तराल'' या जो लागू हो वो विवरण प्रस्तुत करें। • बोर्ड या विश्वविद्यालय के नाम के साथ राज्य का नाम अवश्य लिखें।
34	यदि आप पूर्व में महाविद्यालय/ महाविद्यालय के संबद्धक विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे तो महाविद्यालय की विद्यार्थी पंजीकरण संख्या, पाठ्यक्रम, एनरोलमेन्ट नम्बर का उल्लेख करें।

आवेदन प्रपत्र की बिन्दु संख्या	निर्देश
35	• आवेदन प्रपत्र के साथ आप जो संलग्नक लगा रहे हैं उनकी सूची पूर्ण करें। इसके लिए निर्धारित कॉलम में ''टिक मार्क (सही का निशान)'' लगायें व संलग्नक संख्या लिखें। उदाहरणार्थ सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र लगाया गया हो तो निर्धारित कॉलम में टिक मार्क लगाकर संलग्नक–एक लिखें। संलग्न किए जा रहे तत्संबन्धित प्रमाण पत्र के सीधे हाथ पर ऊपरी कोने में भी 'संलग्नक–एक' लिखें। इसी प्रकार शेष प्रमाण पत्रों की प्रविष्टियां करें। • सभी संलग्न प्रमाण पत्रों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। • प्रमाण पत्र तालिका के निर्देशानुसार सत्यापित करें/करवाएं। जो प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न किये जाने है उनकी मूल प्रति लगायें। बिन्दु सं 35 के उपबिन्दु संख्या–13 में जो प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा हो उसके आगे सही का निशान लगाकर शेष काट दें। यदि आप द्वारा संलग्न किये जा रहे प्रमाण पत्र का नाम मुद्रित न हो तो इसका शीर्षक/नाम लिख दें। • यदि बिन्दु सं 35 के उपबिन्दु संख्या 1 से 13 के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण पत्र आप संलग्न कर रहे हों तो बिन्दु संख्या 14 व 15 में इनका वर्णन करें। • तालिका के अन्त में कुल संलग्नकों (प्रमाण पत्रों) की संख्या अंकों व शब्दों में लिखें। • पृष्ठ के अन्त में पूर्ण हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित करें। • स्मरण रहे कि प्रमाण पत्रों के अभाव में आपको संबंधित लाभ देय नहीं होगा तथा अर्हकारी परीक्षा /परीक्षाओं के प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में आपके प्रवेश आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा।
36	इस बिन्दु में आपके द्वारा कतिपय घोषणाएं की जानी हैं। इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें तथा जो लागू न हो उसे काट दें। इन घोषणाओं पर हस्ताक्षर करें।
37	यह पूर्णतः आवेदक के अभिभावक/संरक्षक द्वारा भरा जाना है। अभिभावक/संरक्षक घोषणा पर पूर्ण हस्ताक्षर कर आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणओं व हस्ताक्षर का सत्यापन करें तथा अपनी वार्षिक आय का विवरण दें। अभिभावक/संरक्षक अपना पूर्ण नाम, सम्पर्क सूत्र लिखें तथा घोषण की दिनांक व स्थान भी लिखें।
38	आपके द्वारा चुने गये महाविद्यालय में अनेक सह–शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हैं। इनमें से आप एक या अधिक गतिविधि चुन सकते हैं। इनके विषय में प्रवेश के उपरान्त आपको परामर्श/चयन का अवसर उपलब्ध करवाया जायेगा। इस बिन्दु पर आप अपनी अभिरुचि की गतिविधि को वरीयता प्रदान करें। उच्चतम वरीयता की गतिविधि के लिए **''1''** लिखें तथा इसी प्रकार शेष वरीयताएं अंकित करें। गतिविधियां उपलब्धता, योग्यता व पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर उपलब्ध करवायी जायेंगी।
रसीद	आवेदन की प्राप्ति रसीद पर बिन्दु संख्या 1 से 3 की प्रविष्टियां पूर्ण करें।
39	बिन्दु सं. 39 के उपबिन्दु संख्या 1 से 3 की प्रविष्टियां पूर्ण करें। उपबिन्दु संख्या–3 में संकाय, पाठ्यक्रम, भाग व कक्षा का पूर्ण नाम लिखें। (उदाहरणार्थ–**''कला संकाय स्नातक भाग प्रथम''** या **''स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध रसायन शास्त्र''** या **''स्नातक विज्ञान (गणित, रसायन, भौतिकी) भाग प्रथम''**)
40 से 44	ये प्रविष्टियां आवेदक द्वारा नहीं की जानी है। अतः आवेदक इन्हें रिक्त छोड़ दें।